Quest Journals
Journal of Research in Humanities and Social Science
Volume 6 ~ Issue 1 (2018) pp: 75-77
ISSN(Online):2321-9467
www.questjournals.org

Research Paper

मनु स्मृति में नारी : एक विवेचना

सुषीला सांवरिया
सह आचार्य (इतिहास)
स्व. पण्डित नवल किशोर षर्मा राजकीय
स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा (राज.)

प्राचीन भारतीय सामाजिक, धार्मिक जीवन एवं राजषास्त्र की जानकारी के लिये स्मृतियों का महत्वपूर्ण स्थान है। स्मृतियों में मनु स्मृति का महत्व सर्वत्र स्वीकृत है। अतएव भारतीय समाज व्यवस्था में मनु स्मृति की परम्परा द्धारा प्रतिपादित नियमों को विशेष महत्व प्राप्त हुआ। विकृत रूप में ही सही, आज भी ये नियम भारतीय राष्ट्र के बहुसंख्यक जनमानस की आधार पद्धति के नियामक है।

स्त्री समाज की आधार शिला है। माता और भार्या (पत्नि) के रूप में वह जिन कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का संवहन करती है, उसी पर समाज का उत्कर्षाकर्ष अवलम्बित है। पुरूष के व्यकितत्व का अंकुरण माता के अंश में ही होता है, वही उसका प्राथमिक एवं सर्वप्रधान शिक्षालय है। किन्तु पत्नि के रूप में स्त्री उसके विकास के हेतु प्रस्तर स्तम्भ है। उसकी सामाजिक स्थिति से सम्पूर्ण समाज प्रभावित होता है।

प्रारम्भिक वैदिक काल में स्त्रियों की अवस्था अत्यन्त उन्नत और परिष्कृत थी तथा इन्हें धार्मिक, सामाजिक, शिक्षा सम्बन्धी अनेक अधिकार प्राप्त थे।

किन्तु युग के अनुरूप स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन होता गया। वैदिक युग से लेकर पूर्व मध्य युग तक उसकी स्थिति में अनेक उतार चढाव आते रहे तथा उनके अधिकारों में भी परिवर्तन होते रहे।

पूर्व वैदिक काल में उन्हें स्वतंत्रतापूर्वक शिक्षा ग्रहण करने एवं स्वच्छन्दता पूर्वक विचरण करने का अधिकार प्राप्त था। वह पति के साथ प्रत्येक धार्मिक कार्यों में भाग लेती थी और पति के साथ मिल कर गृह के याज्ञिक कार्य सम्पन्न करती थी। किन्तु उत्तरवैदिक काल में स्त्रियों को याज्ञिक कार्यों से अलग रखा गया और उन्हें वैदिक मन्त्रों के उच्चारण के उपयुक्त नहीं माना गया। सूत्रों और स्मृतियों के काल में आकर उनकी स्वतन्त्रता व स्वच्छन्दता पर अनेक बन्धन और अवरोध लगाये गये। जन्म से मृत्यु तक उन्हें पुरूष के नियन्त्रण में रहने के लिये निर्देषित किया गया। कन्या, पत्नि और माता जैसी स्थिति में वे – पिता, पति और पुत्र द्धारा नियन्त्रित और संरक्षित मानी गई। (1) स्त्री के साथ भोजन करने वाले पुरूष को निन्दनीय घोषित किया गया। (2)

मनु जैसे व्यवस्थाकारों ने उसे कभी स्वतन्त्र न रहने के लिये निर्देश किया है तथा यह विचार प्रकट किया है कि स्त्री कभी भी स्वतंत्र रहने के योग्य नहीं है:

बाल्ये पितुर्पषे तिष्ठेत् पाणिग्राहस्य यौवने।
पुत्राणां भर्तरि प्रेते न भजेत्स्त्री स्वतंत्रताम।। (5/148)

मनु की कठोर सामाजिक वयवस्था में नारी शिक्षा का महत्व नहीं है। उन्होंने स्त्रियों के लिये एक पृथक उपनयन संस्कार का विधान भी नहीं किया है। विवाह के समय ही उसका उपनयन संस्कार कर दिया जाता था। इस सम्बन्ध में मनु का कथन है कि पति ही कन्या का आचार्य, विवाह ही उसका उपनयन संस्कार, पति सेवा ही दैनिक धार्मिक अनुष्ठान है।(3) उन्होंने घर में रह कर दासी के समान स्त्री को गृह कार्य करने का निर्देश दिया।

मनु ने अल्पायु में ही कन्या का विवाह करने के निर्देश दिये हैं। (4) किन्तु उनका यह भी कहना है कि योग्य वर के अभाव में कन्या आजीवन अपने पिता के घर में रह सकती है।(5) मनु के अनुसार कन्या का विवाह ऐसे कुल में नही करना चाहिये जो संस्कारहीन वेदाध्ययनरहित एवं रोगग्रस्त रहता है(6)

कन्या विक्रय का मनु ने निशेध किया है। उनका कहना है कि शुद्र को भी अपनी कन्या के विवाह में धन नहीं लेना चाहिये। (7) कन्या विक्रय करने वाला व्यकित नरक को जाता है।

मनु ने अभ्रातृका कन्या के साथ विवाह करना अनुपयुक्त बताया है।

मनु ने नियोग प्रथा का भी घोर विरोध किया है और इसे पशु धर्म कहा है। उनके अनुसार केवल एक ही अवस्था में ही नियोग धर्म्य है, यदि विवाह के पूर्व ही किसी कन्या का प्रस्तावित पति मर जाये जो वह उसके भाई (देवर) के साथ नियोग स्थापित कर सकती है। यह यह नियोग भी केवल एक पुत्र की प्राप्ति तक ही धर्म्य में रहता है।

मनु स्त्री के पुनर्विवाह के घोर विरोधी थे। पति पत्नि का सम्बन्ध अविच्छेद है अतएव् पति की मृत्यु के पष्चात् भी स्त्री को दूसरे विवाह का विचार तक नहीं करना चाहिऐ(8)

यद्यपि मनु सिद्धान्ततः सम्बन्ध विच्छेद के विरोधी है तथापि विशेष परिस्थितियों में (पति के उन्मत, पतित, रोगी) उन्होंने इसे स्वीकृत भी किया है।(9)

मनु ने अपनी समाज वयवस्था में स्त्री को पैतृक सम्पत्ति में अधिकारिणी नहीं माना। भाई के न रहने पर भी मनु ने उत्तराधिकारिणी के रूप में पुत्री का कहीं नाम तक नहीं लिया। (10) और ना ही मृत व्यक्ति की विधवा को सम्पत्ति की भागीदारिणी माना है।

मनु के अनुसार स्त्री की अपनी स्वंय की सम्पत्ति जिस पर उसका पूर्ण स्वत्व होता है, वह उसका स्त्री–धन है। जो उसे विवाह के समय स्नेहवष माता–पिता भाई व अन्य लोगों से मिलता है। (11) और पति की मृत्यु के बाद भी नारी को उसके स्त्रीधन से वंचित नहीं किया जाना चाहिऐ। (12)

मनु का स्पष्ट मत है कि स्त्री का चरित्र और आचरण उज्ज्वल और सुसंस्कृत हो।

स्त्री के चरित्र और व्यवहार से समाज का उत्कर्ष होता है। उसकी नैतिकता, चारित्रिक सौष्ठव और निष्ठा कुटुम्ब की गरिमा बनाती है। उन्होंने व्यभिचारिणी स्त्री के लिये बहुत कडे दण्ड की व्यवस्था की है। नीच जाति के पुरूष के साथ व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को बहुत से लोगों के सामने कुत्तों से कटवाये।(13)

माता और भार्या (पत्नि) के रूप में वह समाज में आदर योग्य थी। मनु का कथन है कि जहां नारियां पूजित होती है, उस कुल में देवता निवास करते हैं। और जिस कुल में वे पूजित नही होती उसके सभी पुण्य निष्फल हो जाते हैं।(14)

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः /
यत्रैतास्तु न पूज्यते सर्वास्तस्याफलाः क्रियाः //

वह पति के साथ सभी धार्मिक कृत्यों में सम्मिलित होती थी। यद्यपि मनु की व्यवस्था में स्त्रियों को वैदिक मन्त्रों पर अधिकार नहीं दिया गया किन्तु वे धार्मिक कृत्य बिना किसी रोक के कर सकती थी।

मनु ने पत्नि का सर्वप्रमुख कर्तव्य माना है पति की आज्ञा मानना, सेवा करना, आदर–सत्कार करना और उसे देवता की भांति सम्मान देना। (15) उसे सदैव पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिये।

किन्तु यदि पत्नि कोई अपराध करे तो पति को उसे गुरू या पिता की भांति शारीरिक दण्ड देने का अधिकार भी है। वह उसे रस्सी या बांस की पतली छडी से पीठ पर मारना चाहिये। (16)

भार्या के समान ही मनु ने माता की प्रशंसा एवं सम्मान किया है और उसे गुरू, पिता आदि अन्य लोगों से सर्वश्रेष्ठ माना है। मनु के अनुसार आचार्य दस उपाध्यायों से महत्व में आगे है, पिता सौ आचार्यों से और माता तो गौरव के कारण एक हजार पिताओं से बढ़ कर है।(17) अतः पुत्र को चाहिये कि वह अपनी माता की सदा सेवा करे।

यद्यपि मनु ने माता और भार्या को अत्यन्त सम्माननीय माना है और उनके कार्यों की प्रशंसा भी की है, परन्तु उनकी समाज व्यवस्था में स्त्री का स्थान पुरूष की अपेक्षा निम्न ही माना गया है।

मनु की व्यवस्था में न उसे शिक्षा प्राप्त करने का और न वह वैदिक मन्त्रों का उच्चारण ही कर सकती थी। उसकी स्थिति षूद्र के समान थी जिसे समस्त अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। उसका एकमात्र प्रमुख कर्तव्य था पुरूष की दासी रूप में उसके सम्पूर्ण कार्य करना। उसे बचपन से बुढापे तक पूर्णतः पुरूष के अधीन कर दिया। वह अपनी मर्जी से कोई भी कार्य नहीं कर सकती थी। वह ना तो पुर्नविवाह और ना ही पति से सम्बन्ध विच्छेद कर सकती थी, जबकि पुरूष एक पत्नि के रहते दुसरा विवाह कर सकता था।

वह पुरूषों के समान अपने पिता की पैतृक सम्पत्ति में अधिकारिणी नहीं थी और ना ही पुत्रहीन पुरूष की विधवा उत्तराधिकारी मानी गई। पुत्री और पत्नि के रहते हुये भी उस मृत पुरूष की सम्पत्ति सपिण्डों और सगोत्रों को प्राप्त होती थी। मात्र स्त्रीधन ही उसकी अपनी एकमात्र सम्पत्ति मानी गई है। प्रायः उसे अधिकारों से वंचित रखा गया। पुरूष की उसके प्रति अविष्वास तथा अनुत्तरदायित्व की भावना थी, तथा उसे हीन और निम्न भावना से देखा जाता था। उसे मर्यादाहीन और चंचल माना गया। उस पर अनेक कठोर नियन्त्रण लगाये गये ओर उस पर पुरूष का पूर्णतः एकाधिकार माना गया। उसकी स्वतंत्रता का नकारा गया और उसे स्वतंत्रता की अधिकारिणी नहीं माना। यहां तक कि वृद्धावस्था में भी उस पर पुत्र के संरक्षण को आरोपित किया है।उसके साथ भोजन करना पुरूष के लिये वर्जित माना। वह स्वतंत्रतापूर्वक कोई भी धार्मिक या अन्य कार्य नहीं कर सकती थी। इस प्रकार धर्म और समाज रक्षा के नाम पर स्त्रियों को सुरक्षित रखने के लिये अनेक ऐसी व्यवस्थाओं का नियमन हुआ, जिससे स्त्रियों की स्थिति निरन्तर दयनीय होती

*Corresponding Author: सुषीला सांवरिया

गई। अनेक बन्धनों के घेरे में उनका व्यकितत्व सिमट कर रह गया। और फलतः उनका विकास अवरूद्ध हो गया। अतः कहा जा सकता है कि मनु स्मृतिकार का नारी के प्रति उदार दृष्टिकोण नहीं रहा।

सन्दर्भ :–

(1) मनुस्मृति 9/3
(2) मनुस्मृति 9/43
(3) मनुस्मृति 2/147
(4) मनुस्मृति 2/88
(5) मनुस्मृति 2/89–90
(6) मनुस्मृति 3/67
(7) मनुस्मृति 2/97
(8) मनुस्मृति 5/157
(9) मनुस्मृति 9/79
(10) मनुस्मृति 9/185
(11) मनुस्मृति 9/194
(12) मनुस्मृति 3/52
(13) मनुस्मृति 8/371
(14) मनुस्मृति 3/56
(15) मनुस्मृति 5/154
(16) मनुस्मृति 8/299–300
(17) मनुस्मृति 2/145

*Corresponding Author: सुषीला सांवरिया